FORM NO. III
फर्दअहकाम
(नियम– 26)

अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी..........

प्रार्थी बनाम	विप्रार्थीगण
1. चेला पुत्र हरजी जाति मेघवाल निवासी, वांकलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. करना पुत्र जाला वगैरा (10) जाति मेगवाल निवासी, वांकलपुरा, 11. तेजा पुत्र जाला जाति मेगवाल निवासी मोडावास 12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

किस्म मुकदमा.....धारा 212 रा.का.अ. एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी मु0नं0...116/2023.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मंजारी हुए
22.06.2023	प्रार्थी चेला की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा विप्रार्थीगण करना वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का पेश किया। जिसे वाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार मण्डल भेडाणा के राजस्व ग्राम वांकलपुरा में खेत खसरा नम्बर 106, 118, 121, 126, 134 रकबा कमशः 5.2285, 3.0513, 1.9506, 8.8869, 3.1242 हैक्टेयर एवं हीराणी तरडों की ढाणी में खेत खसरा नम्बर 220 रकबा 11.7359 हैक्टेयर तथा ग्राम गोलियाकला में खेत खसरा नम्बर 164 रकबा 2.9866 हैक्टेयर की अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के हिस्से खुले हुए है तथा अपने अपने हिस्से अनुसार प्रार्थी व विप्रार्थीगण मौखिक बंटवाडा अनुसार अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं। कानूनी बंटवाडा नहीं होने तथा भूमि संयुक्त खातेदारी में होने के कारण अपने अपने हिस्सों की सीमाओं को लेकर हर समय विवाद बना रहता है। विप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की उपजाऊ बनाई गई भूमि पर जबरन कब्जा कर बिना बंटवाडा कराये अजनवी व्यक्तियों को बेचान करने एवं प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि विप्रार्थीगण से अलग करवाकर शेष प्रतिवादीगण से विभाजित करवाने हेतु बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालयश्री में पेश किया है। मूल वाद के निस्तारण में समय लगना सम्भव है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विरूद्ध विप्रार्थीगण एक तरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई से बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी में प्रार्थी व विप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार हैं, हिस्से खुले हुए हैं तथा भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। चूंकि प्रार्थी बकील की बहस अनुसार विप्रार्थीगण बिना बंटवाडा करवाये भूमि को बेचान कर प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में निहित है, प्रार्थी विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी तहसील गुड़ामालानी पटवार मण्डल भेडाणा के राजस्व ग्राम वांकलपुरा के खेत खसरा नम्बर 106, 118, 121, 126, 134 रकबा कमशः 5.2285, 3.0513, 1.9506, 8.8869, 3.1242 हैक्टेयर एवं हीराणी तरडों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 220 रकबा 11.7359 हैक्टेयर तथा ग्राम गोलियाकला के खेत खसरा नम्बर 164 रकबा 2.9866 हैक्टेयर भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे वकील प्रार्थी विप्रार्थीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा आज ही प्रेषित कर [illegible] रसीद पेश करें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 26.0[illegible]3 को पेश हो। (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	(691 नोटिस 26/6/23) प्रतिलिपि : 1. तहसीलदार, गुड़ामालानी 2. [illegible] विप्रार्थीगण (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 11:53:09 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-गुड़ामालानी

चैला बनाम करना

जीसीएमएस संख्या 2023/192 किस्म मुकदमा 212

तारीख हुक्म	हुक्म/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
07/08/25	पत्रावली आज पेश हुई दोनों पक्षों के वकील उप. वकील अप्रार्थी जवाब वास्ते अवसर चाहते है अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 14/08/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
14/08/25	पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उप. वकील अप्रार्थी जवाब वास्ते अवसर चाहते है अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 01/09/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
01/09/25	पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उप. मूलवाद प्रकरण संख्या 2023/91 का निस्तारण हो जाने से इस पत्रावली का कोई औचित्य नही रहने से पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के शामिल हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 11:53:09 IST
Reason: SelfAttested